भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 783

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

कोयले की माँग और आपूर्ति में अंतर

783. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोयले की वर्तमान मांग-आपूर्ति अंतर का राज्य-वार मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : मंत्रालय द्वारा राज्य-वार कोयले की मांग का आकलन नहीं किया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की कुल मांग नीचे दी गई है: -

(मिलियन टन में)

	2022-23	2023-24	2024-25
कुल मांग	1115.04	1237.54	1268.95
घरेलू आपूर्ति	877.37	973.01	1025.33
आयात द्वारा पूरा किया गया अंतर	237.67	264.53	243.62

(ग) और (घ) देश में घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं –

i कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित तरीके से खान से संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन।

iii कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

iv कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आबंटितियों की सहायता के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू)।

v राजस्व शेयरिंग के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के अंतर्गत उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) भी दिए गए हैं।

vi वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन और शर्तें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के साथ बहुत उदार हैं जिनमें बोली प्रक्रिया में नई कंपनियों को भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि में कमी की गई है, मासिक भुगतान हेतु अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलापन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मापदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व हिस्सेदारी मॉडल मौजूद हैं।

(II) कोयला आयात निर्भरता कम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं -

i. वार्षिक संविदात्मक मात्रा (एसीक्यू) को उन मामलों में नियामक आवश्यकता के 100% तक बढ़ाया गया है, जहां एसीक्यू को या तो नियामक आवश्यकता (गैर-तटीय विद्युत संयत्र) के

90% तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को नियामक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्र) के 70% तक कम कर दिया गया था। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप अधिक घरेलू कोयले की आपूर्ति होगी जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

ii. वर्ष 2020 में शुरू की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के तहत, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। एनआरएस लिंकेज नीलामी में 30 वर्ष तक की अवधि के लिए कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि में वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा है।

iii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रिगर स्तर और वार्षिक अनुबंधित मात्रा स्तरों पर विचार किए बिना कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयात पर निर्भरता कम होगी।

iv. कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय में 29.05.2020 को एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। आईएमसी के निर्देशों पर कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डाटा प्रणाली विकसित की गई है ताकि मंत्रालय कोयले के आयातों का पता लगा सके। वस्तुओं के आयात को शासित करने वाली विदेश व्यापार नीति के अनुसार कोयले का बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। तथापि, दिसंबर, 2020 से इसे "मुक्त" से संशोधित करके "कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल में अनिवार्य पंजीकरण के अध्यधीन मुक्त" कर दिया गया है। कोयले की अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सतत आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार, संपूर्ण प्रतिस्थापन योग्य आयातित कोयले को देश द्वारा पूरा किए जाने की अपेक्षा है और अति आवश्यक के अलावा कोई अन्य आयात नहीं किया जाना चाहिए। कोयला आयात प्रतिस्थापन पर एक कार्यनीति पत्र जारी किया गया है।

v. एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत मार्च, 2024 में एक नया उप-क्षेत्र 'डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोल का उपयोग करके इस्पात' सृजित किया गया है, जिससे घरेलू कोकिंग कोयले की खपत में वृद्धि होगी और देश में वॉश्ड कोकिंग कोयले की उपलब्धता में वृद्धि होगी, जिससे कोकिंग कोल आयात में कमी आएगी।

vi. कोकिंग कोल के आयात को कम करने के लिए इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोल की आपूर्ति बढ़ाने हेतु कोकिंग कोल मिशन शुरू किया गया है। कोकिंग कोल उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहल की गई हैं।

vii. आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। संशोधित शक्ति नीति के अंतर्गत आईसीबी संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता से आयातित कोयले पर इन आईसीबी संयंत्रों की निर्भरता कम होने की अपेक्षा है।

viii. मौजूदा ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) धारकों को मौजूदा एफएसए के तहत एसीक्यू कोयले की 100% खरीद के बाद संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। मौजूदा एफएसए धारकों को एसीक्यू से अधिक कोयले की उपलब्धता से विद्युत संयंत्रों की पूर्ण आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए विद्युत उत्पादकों को लाभ होगा।

(III) उपर्युक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं -

i. कोल इंडिया लि (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए हैं। अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, सीआईएल जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, कंटीन्यूअस माइनर्स (सीएम), लॉन्गवॉल (एलडब्ल्यू) और हाईवॉल (एचडब्ल्यू) की संस्थापना के साथ मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज (एमपीटी) जैसी नई और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपना रही है। अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में, सीआईएल के पास पहले से ही अपनी उच्च 2 क्षमता वाले उत्खनन और डंपरों में अत्याधुनिक तकनीक है। ओपनकास्ट खानों में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) का मानकीकरण किया गया है। कुशल और पर्यावरण के अनुकूल खनन के लिए ओपनकास्ट खानों में सर्फेस माईनस को संस्थापित किया जाता है। इसकी 7 मेगा खानों में पायलट पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन लागू किया गया है।

ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं को प्रारंभ करने और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए कोल हेंडलिंग प्लांटस (सीएचपी), क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिन आदि जैसी अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

****